

फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

शंकरलाल विपक्षी वरवी वाठ
 212 PTDs पत्रावली संख्या 37115 सन्

कार्यवाही विवरण हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

18/2/22

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/अपीलाण्ट/
 प्रतिवादी/विपक्षी/रेस्पो उपस्थित/पीठासीन
 अधिकारी महो. आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग
 में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में
 दिनांक 20/5/22 को पेश हो।

20/5/22

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/अपीलाण्ट/
 प्रतिवादी/विपक्षी/रेस्पो उपस्थित/पीठासीन
 अधिकारी महो. आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग
 में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में
 दिनांक 24/6/22 को पेश हो।

24/6/22

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/अपीलाण्ट/
 प्रतिवादी/विपक्षी/रेस्पो उपस्थित/पीठासीन
 अधिकारी महो. आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग
 में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में
 दिनांक 5/8/22 को पेश हो।

05/08/22

वकुलाय वादी/ प्रतिवादी उप.
 के लिये मौका चाहते है। अतः
 भ्रदसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 14/10/22
 को पेश हो।


 SDO मावली

14/10/22

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/अपीलाण्ट/
 प्रतिवादी/विपक्षी/रेस्पो उपस्थित/पीठासीन
 अधिकारी महो. आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग
 में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में
 दिनांक 11/11/22 को पेश हो।

11/11/22

वकुलाय वादी/ प्रतिवादी उप.
 के लिये मौका चाहते है। अतः
 भ्रदसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 18/11/22
 को पेश हो।


 SDO मावली



18/11/22

वकूलाय वादो / प्रतिवादी उप.

नीति

के लिये मौका चाहते हैं। अतः

कॉपी

भ्रवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 02/12/22

को पेश हो।

→

SDO मावली

02/12/22

वकूलाय वादो / प्रतिवादी उप.

नीति

के लिये मौका चाहते हैं। अतः

कॉपी

भ्रवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 15/12/22

को पेश हो।

→

SDO मावली

16/12/22


पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उप। /
मूल वाद आदेश में होने से मूल वाद के साथ
दिनांक 23/12/22 को पेश हो।

23/12/22

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उप। /
मूल वाद आदेश में होने से मूल वाद के साथ
दिनांक 30/12/22 को पेश हो।

30/12/22

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उप। /
मूल वाद आज दिनांक को स्वीकार किया जाकर
ठिकी किया जा चुका है। अतः मूल वाद फैसल
होने से अब इस पत्रावली में कोई कार्यवाही शेष
नहीं रहनी है। अतः इस पत्रावली को इसी स्तर
पर ड्रॉप किया जाता है। पत्रावली फैसल सुनार
होकर नम्बर से कम हो।



निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
(SDO) मावली